भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1185
दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों में विकास परियोजना

†1185. श्री अरुण भारती:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकिः

(क) क्या पंचायती राज मंत्रालय बिहार में ग्राम पंचायतों में विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित अबद्ध और बद्ध अनुदानों के अनुपात के संबंध में आंकड़े रखता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए बद्ध अनुदानों का कोई आवंटन किया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अबद्ध अनुदानों के उपयोग पैटर्न की राज्य स्तर पर व्यवस्थित रूप से निगरानी की जा रही है और इसकी जानकारी दी जा रही है;

(घ) क्या पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुदान जारी किए जाने से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति और जल प्रबंधन अवसंरचना को बनाए रखने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है;और

(ङ) क्या निधियों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अनुदानों से पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र में वृद्धि हुई है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत बिहार सहित सभी राज्यों को 40:60 के अनुपात में अबद्ध और बद्ध अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, बिहार राज्य में पंचायतों के विभिन्न स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत को क्रमशः 70:20:10 के अनुपात में अनुदान प्राप्त होता है।

(ख) राज्य को बद्ध अनुदान (पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत) प्रदान किए गए हैं और इसका उपयोग पेयजल, वर्षा -जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) की स्थिति में सुधार के रखरखाव केकार्यों के लिए किया जा सकता है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए 28 राज्यों में विधिवत गठित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल 2,36,805 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिनके लिए पंचायतों का होना आवश्यक नहीं है (पांचवीं और छठी अनुसूची के क्षेत्र और छोड़े गए क्षेत्र)। पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित कुल अनुदान में से 60 प्रतिशत (1,42,083 करोड़ रुपये) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता (बद्ध अनुदान) के लिए निर्धारित है, जबकि 40 प्रतिशत (71,042 करोड़ रुपये) अबद्ध है और इसका उपयोग बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए पंचायती राज संस्थाओं के विवेक पर किया जाना है।

(ग) राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान सहित पंचायत निधियों के उपयोग की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने ई-ग्रामस्वराज एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन पंचायत के कामकाज के विभिन्न पहलुओं जैसे योजना, बजट, लेखा और लेखा परीक्षा की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

राज्य बद्ध और अबद्ध अनुदान सहित केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के उपयोग की व्यवस्थित निगरानी के लिए ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन का लाभ उठा सकते हैं। योजना मॉड्यूल राज्यों को यह ट्रैक करने की अनुमति देता है कि कैसे पंचायती राज संस्थाएं अपनी विकास योजनाओं में पहचानी गई जरूरतों को शामिल करती हैं, जिससे बजट आवंटन के साथ संरेखण सुनिश्चित होता है। इसके बाद, प्रगति रिपोर्टिंग मॉड्यूल अनटाइड अनुदानों द्वारा वित्त पोषित गतिविधियों से संबंधित भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है, जबकि लेखा मॉड्यूल वित्तीय लेनदेन और व्यय पैटर्न की विस्तृत ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इन कार्यक्षमताओं का उपयोग करके, राज्य इस बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अबद्ध अनुदान का उपयोग कैसे किया जा रहा है, जिससे अधिक प्रभावी और पारदर्शी संसाधन आवंटन को बढ़ावा मिलता है।

(घ) पंद्रहवें वित्त आयोग ने बिहार को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए बद्ध अनुदान के रूप में 11,838.40 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिनमें से 10521.10 करोड़ रुपये राज्य सरकार को जारी किए गए हैं। इस राशि का 50% स्वच्छता गतिविधियों के लिए और 50% जल गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाना है। पंद्रहवें वित्त आयोग के निर्धारित अनुदानों के तहत व्यय और भौतिक प्रगति की रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दी जाती है। ई-ग्राम स्वराज में ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, बिहार को जारी कुल निर्धारित अनुदानों में से 4114.27 करोड़ रुपये स्वच्छता गतिविधियों के लिए और 1321.12 करोड़ रुपये जल गतिविधियों के लिए उपयोग किए गए हैं। (एसबीएम (जी) आईएमआईएस (ई ग्रामराज पोर्टल के माध्यम से)पर बिहार द्वारा बताई गई स्वच्छता संपत्ति अनुलग्नक में है।

(ङ) पंद्रहवें वित्त आयोग ने अनिवार्य पात्रता शर्तें लागू करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में पारदर्शिता एवं जवाबदेही तंत्र बढ़ाने पर जोर दिया है, जैसे कि पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र बनने हेतु पंचायत का विधिवत गठित (निर्वाचित) होना, ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर ऑनबोर्ड होना, वार्षिक खाते को अनिवार्य रूप से बंद करना और उसका लेखा परीक्षण करना।

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ भी एकीकृत किया गया है, ताकि पंचायतों को विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर ऑनलाइन भुगतान करने में सुविधा हो और इस प्रकार वित्तीय संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके तथा उनके कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सके।

***

अनुबंध

ई-ग्रामस्वराज पर बिहार द्वारा रिपोर्ट की गई स्वच्छता परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	राज्य का नाम	एसडब्लूएम परिसंपत्तियों की संख्या	जीडब्ल्यूएम परिसंपत्तियों की संख्या	सीएससी की संख्या	घरेलू स्तर की एसएलडब्ल्यूएम परिसंपत्तियां	कुल परिसंपत्तियों की संख्या	कुल गांवों की संख्या	
1	अररिया	25	131	196	0	360	198	
2	अरवल	0	69	95	0	165	79	
3	औरंगाबाद	27	500	88	6	633	379	
4	बांका	9	136	34	2	183	137	
5	बेगूसराय	30	159	93	7	405	148	
6	भागलपुर	5	19	23	1	59	42	
7	भोजपुर	4	167	36	0	215	139	
8	बक्सर	1	26	142	0	169	92	
9	दरभंगा	2	59	16	0	80	64	
10	गया	6	380	82	0	487	316	
11	गोपालगंज	17	60	23	3	117	98	
12	जमुई	10	73	43	10	147	96	
13	जहानाबाद	3	67	2	0	72	29	
14	कैमूर (भभुआ)	10	113	28	0	165	137	
15	कटिहार	4	67	57	0	129	59	
16	खगरिया	31	65	19	0	117	44	
17	किशनगंज	23	246	44	8	342	152	
18	लखीसराय	2	18	8	3	34	27	
19	मधेपुरा	11	43	73	1	140	82	
20	मधुबनी	27	307	105	21	500	210	
21	मुंगेर	7	50	10	4	72	46	
22	मुजफ्फरपुर	16	127	126	2	289	204	
23	नालंदा	0	50	22	0	74	50	
24	नवादा	21	280	79	3	412	233	
25	पश्चिम चंपारण	44	188	79	11	333	235	
26	पटना	38	143	10	1	202	122	
27	पूर्वी चंपारण	2	27	11	0	40	35	
28	पूर्णिया	10	107	38	0	166	77	
29	रोहतास	26	311	49	2	401	243	
30	सहरसा	17	41	128	3	190	72	

31	समस्तीपुर	27	175	50	17	290	153	
32	सरन	13	137	51	20	229	160	
33	शेखपुरा	0	74	4	0	79	37	
34	शिवहर	0	49	11	10	72	37	
35	सीतामढ़ी	10	146	32	16	213	136	
36	सिवान	40	138	75	0	271	177	
37	सुपौल	30	436	132	5	634	181	
38	वैशाली	28	43	68	1	150	104	
कुल-		**576**	**5227**	**2182**	**157**	**8636**	**4830**	

***